# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 28/2019 जिला दौसा

1. शिवचरण पुत्र श्री चिरंजीदास
2. हरिमोहन पुत्र चिरंजीदास
3. मदनमोहन पुत्र चिरंजीदास
   समस्त जाति वैषणव निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्रीमती रूमकणी पत्नि चिरंजीदास, समस्त जाति वैष्णव निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. ठाकुर जी मंदिर श्री सीताराम जी वाके रामा पांचोली तहसील सिकराय जरिए पुजारी शिवरचरण पुत्र चिरंजीदास चेला लक्ष्मणदास निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुमेरसिंह पुत्र रामकरण
2. मथुरालाल पुत्र रामकरण
3. विजेन्द्रसिंह पुत्र रामकरण
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौस।
4. विजयसिंह पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी मरियाडा तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. नानगराम पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।
6. तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.07.2019 बअदालत उपखण्ड अधिकारी, सिकराय जिला दौसा प्रकरण संख्या 54/2018 बउनवानी सुमेर सिंह वगै0 वगै0 शिवचरण वगै0।

उपस्थित—

1. श्री छोटेलाल मीना वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 6 की ओर से।
3. प्रार्थी श्री सुमेर सिंह पुत्र रामकरण, रेस्पोडेन्ट नं. 1 अनु0
4. श्री पदमसिंह गुर्जर, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 की ओर से अनुपस्थित।

## निर्णय

दिनांक —22.08.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 15.07.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा. 4 प्रार्थीगण द्वारा अपीलांटस एवं रेस्पो. सं. 5 व 6 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी खसरा नम्बर 1019/23 रकबा 0.25 ऐयर एवं जिसका पुराना खसरा नं0 13/2 रकबा 1 बीघा वाकै रामा पाचोली तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। जो कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि है तथा प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि एनएच 11 लगते हुए है शेष तीनों दिशाओं की तरफ खसरा नं. 1020/23, 26 व 24 हैं जिसके खातेदार संख्या 1 लगायत 6 हैं। प्रार्थीगण दूसरे गांव में रहते है तथा अप्राथीगण 1 लगा. 6 हैं, जो प्रार्थीगण खातेदारी भूमि उपरोक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर



Scanned with OKEN Scanner

की सीमा को बार–बार नष्ट कर देते हैं इसलिये प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 08.06.2016 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया था किन्तु उसके बाद बन्दोबस्त सम्वत 2066 लागू हो जाने से नई नक्शा सीट में नये खसरा नं. लागू हो गये तथा इस नये नजरी नक्शे में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की तरमीम पुनः की गई जिससे प्रार्थीगण को अंदेशा है कि उन खातेदारी भूमि का रकबा नक्शे में कम दर्ज कर दिया है जिसके कारण अप्रार्थीगण आये दिन सीमा विवाद करते है लिहाजा पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमा है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की रकबा बरारी एवं अपनी भूमि पर पुख्ता चिन्ह खडे करवाने के कानूनन अधिकारी है। दिनांक 19.08.18 को अप्रार्थीगण द्वारा सीमा विवाद उत्पन्न करने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार सिकराय को मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2016 के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2019 से पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया।

4. उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 15.07.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री शिवचरण पुत्र श्री चिरंजीदास वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा दिनांक 15.07.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । रेस्पोडेण्ट सं 1 अनुपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 की ओर से अनुपस्थित। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1019/23 रकबा 0.25 ऐयर एवं जिसका पुराना खसरा नं0 13/2 रकबा 1 बीघा भूमि के अपीलांट समीपस्थ खसरा नम्बर 1020/23, 26 व 27 हैं जिसके खातेदार 1 लगा.6 हैं तथा रेस्पाडेण्ट जबरन अपीलांट की खातेदारी में गलत तरीके से सीमाज्ञान करवाकर प्रवेश करना चाहते हैं ना ही अपीलांट को सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2016 की कोई जानकारी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की आदेशिकाओं से पूर्णतः स्पष्ट है कि अपीलांट्स की तामील नहीं हुई तथा दिनांक 5.4.2019 को तलबी प्रतिवादीगण की आदेशिका अंकित है तथा आगामी तारीख पेशी 15.05.2019 नियत की गई तथा दिनांक 15.05.2019 को तारीख पेशी 15.07.2019 दी गई उसी दिन केवल मात्र पैरोकार सरकार की उपस्थिति दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जबकि कानूनन पक्षकारान को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर ही निर्णय पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे व अन्य तथ्यों पर गौर नही किया गया है एवं बिना जॉच, सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा दिनांक 15.07.2019 निरस्त किया जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित भूमि के रेस्पोडेन्ट काश्तकार खातेदार प्रार्थीया है जिसका अपीलांट की खातेदारी की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। उक्त भूमियों की सुरक्षार्थ, पुख्ता सींव एवं तारबंदी करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा विधिवत तहसीलदार सिकराय के आदेशानुसार जॉच पश्चात पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर दिनांक 08.06.2016 को सीमाज्ञान किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिये गये हैं। फिर भी अपीलांट ने बेदखल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

करने एवं सींव को खुर्द बुर्द करने की नियत से श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाके ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 1019/23 रकबा 0.25 ऐयर एवं जिसका पुराना खसरा नं0 13/2 रकबा 1 बीघा भूमि के अपीलांट समीपस्थ खातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने जो प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का पेश किया गया है उसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये हैं। चूंकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलांट भी पक्षकार एवं समीपस्थ खातेदार हैं। अतः हम समझते हैं कि अपीलांट की विधिवत तामिल कराकर, सबूत व साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा का निर्णय दिनांक 15.07.2019 निरस्त किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/8/2023

( असलम शेर खान )
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner